कार्यवृत्त

गुरूवार, 02 फाल्गुन, शक संवत्, 1940

(दिनांक : 21 फरवरी, 2019)

खण्ड–53

अंक–7

विधान सभा का कार्य सभा मण्डप, देहरादून में दिन के 11:00 बजे श्री अध्यक्ष की अध्यक्षता में आरम्भ हुआ।

प्रश्न पूछे गये और उत्तर दिये गये।

आज की कार्यसूची के तारांकित प्रश्न संख्या–11 जो कि योग प्रशिक्षकों को नौकरी में रखे जाने विषयक था के सम्बन्ध में श्री अध्यक्ष ने कहा कि इस सम्बन्ध में प्रासंगिक रूप से सम्मानित सदन को अवगत कराना चाहूँगा कि विधान सभा सचिवालय में गत वर्ष योग दिवस से प्रारम्भ कर प्रतिमाह 21 तारीख को योग अभ्यास तथा योग दिवस के रूप में कार्यक्रम संचालित होता है। आज 21 तारीख को भी आयोजित इस कार्यक्रम में मैं भी गया था।

श्री अध्यक्ष ने सूचित किया कि आज भी सभी प्रश्न उत्तरित हुए हैं।

श्री अध्यक्ष ने सूचित किया कि आज नियम–300 के अन्तर्गत 24 सूचनायें प्राप्त हुई हैं वे इनमें से 07 सूचनायें स्वीकार कर रहे हैं। शेष सूचनाएं अस्वीकार हुई।

1. श्री आदेश सिंह चौहान — जनपद ऊधम सिंह नगर में किसानों की एन0 एच0– 74 में अधिग्रहण की गई भूमि के मुआवजे के सम्बन्ध में। **(पढ़ी हुई मानी गई।)**

2. श्री करन माहरा — प्रदेश में गरीब बच्चों को शिक्षा के अधिकार के अन्तर्गत स्कूलों में प्रवेश दिलाये जाने के सम्बन्ध में।

12 बजकर 25 मिनट पर मा0 उपाध्यक्ष पीठासीन हुए।

3. श्री मनोज रावत — अशासकीय सहायता प्राप्त विद्यालयों में मानदेय से वंचित शिक्षकों के सम्बन्ध में।

4. हाजी फुरकान अहमद — प्रदेश में गरीब परिवारों एवं काश्तकारों के घरेलू विद्युत बिलों तथा ट्यूबवैल के बिलों का सरचार्ज माफ किये जाने के सम्बन्ध में। **(पढ़ी हुई मानी गई।)**

5. श्री नवीन चन्द्र दुम्का — नगर निगम हल्द्वानी के इन्दिरा नगर क्षेत्र स्थित खुले नालों में प्रवाहित दूषित जल से पशुओं और काश्तकारों को हो रहे नुकसान के सम्बन्ध में। **(पढ़ी हुई मानी गई।)**

6. कुँवर प्रणव सिंह ''चैम्पियन'' — लोक निर्माण का कार्यालय रा0 मा0 खण्ड लो0 नि0 वि0 रूड़की से देहरादून में स्थानान्तरित होने से कर्मचारियों को हो रही कठिनाईयों के सम्बन्ध में।

7. श्री राजेश शुक्ला — प्रदेश में रह रहे स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की प्रथम पीढ़ी को रूपये 11000 मात्र मासिक पेंशन दिये जाने के सम्बन्ध में।

संसदीय कार्य मंत्री ने उत्तराखण्ड अनुसूचित जनजाति आयोग अधिनियम, 2015 की धारा–21 सपठित धारा–15 के अधीन उत्तराखण्ड जनजाति आयोग का वार्षिक प्रतिवेदन (वर्ष 01 अप्रैल, 2016 से 31 मार्च, 2017 तक) को सदन के पटल पर रखा।

संसदीय कार्य मंत्री ने उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग अधिनियम, 2014 की धारा–21 के अन्तर्गत उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग का प्रथम प्रतिवेदन (वर्ष 2014–2015, 2015–2016, 2016–2017 तथा 2017–2018 तक) को सदन के पटल पर रखा।

श्री देशराज कर्णवाल, सदस्य विधान सभा द्वारा ''जनपद हरिद्वार के ग्राम रायपुर में अम्बेडकर पार्क का सौन्दर्यीकरण के सम्बन्ध में'', श्री जोगीन्द्र पुत्र श्री रामदास, ग्राम–रायपुर, पो0–भगवानपुर, जनपद हरिद्वार एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित की गयी।

श्री देशराज कर्णवाल, सदस्य विधान सभा द्वारा ''जनपद हरिद्वार के ग्राम खजूरी में कब्रिस्तान से विजेन्द्र त्यागी के खेत तक सी0 सी0 सड़क के निर्माण के सम्बन्ध में'', श्री रूकबान पुत्र श्री नजीर अहमद, ग्राम–खजूर, पो0–मानकपुर, जनपद हरिद्वार एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित की गयी।

श्री देशराज कर्णवाल, सदस्य विधान सभा द्वारा ''जनपद हरिद्वार के ग्राम सिकन्दरपुर भैसवाल में चांदपुर रोड से छापुर की ओर सी0 सी0 सड़क के निर्माण के सम्बन्ध में'', श्री अमित कुमार पुत्र श्री कल्लू, ग्राम–सिकन्दरपुर भैसवाल, पो0–खास, जनपद हरिद्वार एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित की गयी।

संसदीय कार्य मंत्री ने उत्तराखण्ड लोक सेवा (आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए आरक्षण) विधेयक, 2019 पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगी, जो प्रदान की गयी।

संसदीय कार्य मंत्री ने उत्तराखण्ड लोक सेवा (आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए आरक्षण) विधेयक, 2019 को पुरःस्थापित किया।

आबकारी मंत्री ने उत्तराखण्ड (संयुक्त प्रांत आबकारी अधिनियम, 1910) (संशोधन) विधेयक, 2019 पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगी, जो प्रदान की गयी।

आबकारी मंत्री ने उत्तराखण्ड (संयुक्त प्रांत आबकारी अधिनियम, 1910) (संशोधन) विधेयक, 2019 को पुरःस्थापित किया।

श्री उपाध्यक्ष ने सूचित किया कि आज नियम–58 के अन्तर्गत श्री प्रीतम सिंह पंवार, डा0 इन्दिरा हृदयेश, श्री प्रीतम सिंह, काजी मौ0 निजामुद्दीन, श्री राजकुमार, श्री हरीश सिंह, श्री आदेश सिंह चौहान, श्री करन माहरा तथा श्री मनोज रावत की कुल 05 सूचना प्राप्त हुई हैं। इनमें से वे श्री प्रीतम सिंह पंवार, डा0 इन्दिरा हृदयेश, श्री प्रीतम सिंह, काजी मौ0 निजामुद्दीन, श्री हरीश सिंह, श्री आदेश सिंह चौहान, श्री करन माहरा तथा श्री मनोज रावत की सूचना को नियम–58 के अन्तर्गत ग्राह्यता पर सुन रहे हैं।

विधान सभा क्षेत्र धनोल्टी के वि0ख0 थौलधार में आंशिक डूब क्षेत्र की पेयजल योजनाओं पर अवशेष धनावंटन न होने से उत्पन्न स्थति के सम्बन्ध में नियम–58 की सूचना पर मा0 सदस्य श्री प्रीतम सिंह पंवार ने विचार व्यक्त किये। मा0 पेयजल मंत्री को सुनने के पश्चात् श्री उपाध्यक्ष ने उक्त सूचना को अग्राह्य किया।

राज्य में निजी चिकित्सकों की स्वतः बन्दी के सम्बन्ध में नियम–58 की सूचना पर नेता प्रतिपक्ष, श्री प्रीतम सिंह तथा काजी मौ0 निजामुद्दीन ने विचार व्यक्त किये।

श्री प्रीतम सिंह के भाषण के मध्य 12 बजकर 50 मिनट पर श्री अध्यक्ष पीठासीन हुए।

संसदीय कार्य मंत्री के उत्तर भाषण से सन्तुष्ट न होने पर मा0 सदस्य श्री हरीश सिंह को छोड़कर विपक्ष के अन्य सदस्यों ने सदन का बहिगर्मन किया। श्री अध्यक्ष ने उक्त सूचना को अग्राह्य किया।

प्रदेश के अन्तर्गत दैवीय आपदा के बाद तटबंधो, पेयजल लाईनों, पुलिया, सड़कें, भवनों के कार्य न किये जाने व धनावंटन न किये जाने के सम्बन्ध में नियम–58 की सूचना पर मा0 सदस्य श्री हरीश सिंह तथा श्री आदेश सिंह चौहान ने विचार व्यक्त किये। संसदीय कार्य मंत्री को सुनने के पश्चात् श्री अध्यक्ष ने उक्त सूचना को अग्राह्य किया।

उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा आयोजित ग्राम पंचायत विकास अधिकारी चयन परीक्षा को निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में नियम–58 की सूचना पर मा0 सदस्य श्री करन माहरा तथा श्री मनोज रावत ने विचार व्यक्त किये। संसदीय कार्य मंत्री को सुनने के पश्चात् श्री अध्यक्ष ने उक्त सूचना को अग्राह्य किया।

01 बजकर 45 मिनट पर श्री अध्यक्ष ने सदन की कार्यवाही भोजनावकाश के लिये 03:00 बजे तक के लिये स्थगित हुई।

सदन की कार्यवाही अपराह्न 03:00 बजे श्री अध्यक्ष की अध्यक्षता में पुनः आरम्भ हुई।

संसदीय कार्य मंत्री ने प्रस्ताव किया कि सोसाईटी रजिस्ट्रीकरण (उत्तराखण्ड संशोधन) विधेयक, 2019 पर विचार किया जाय। प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

विधेयक पर खण्डशः विचार आरम्भ हुआ।

खण्ड–2 से खण्ड–5, खण्ड–1, प्रस्तावना और शीर्षक विधेयक के अंग बने।

संसदीय कार्य मंत्री ने प्रस्ताव किया कि सोसाईटी रजिस्ट्रीकरण (उत्तराखण्ड संशोधन) विधेयक, 2019 पारित किया जाय। प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

संसदीय कार्य मंत्री ने प्रस्ताव किया कि उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1959) (संशोधन) विधेयक, 2019 पर विचार किया जाय। प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

मा0 सदस्य श्री गोविन्द सिंह कुन्जवाल ने विचार व्यक्त किये।

विधेयक पर खण्डशः विचार आरम्भ हुआ।

खण्ड–2 से खण्ड–3, खण्ड–1, प्रस्तावना और शीर्षक विधेयक के अंग बने।

संसदीय कार्य मंत्री ने प्रस्ताव किया कि उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1959) (संशोधन) विधेयक, 2019 पारित किया जाय। प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

मा0 सदस्य काजी मौ0 निजामुद्दीन ने व्यवस्था का प्रश्न उठाया कि बजट साहित्य एक दिन पूर्व उपलब्ध कराया जाय।

श्री अध्यक्ष ने विनिश्चय दिया कि इसे सरकार सुनिश्चित करा ले।

संसदीय कार्य मंत्री ने श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव किया कि 31 मार्च, 2020 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–05 निर्वाचन के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए **रूपये 1289262 हजार (रूपये एक सौ अठ्ठाईस करोड़ बानवे लाख बासठ हजार मात्र)** से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

श्री अध्यक्ष द्वारा अनुदान संख्या–05 पर कटौती का प्रस्ताव प्रस्तुत करने हेतु आमंत्रित किया गया। किन्तु किसी भी मा0 सदस्य द्वारा कटौती का प्रस्ताव नहीं रखा गया।

अनुदान संख्या–05 के अधीन मांग की धनराशि स्वीकृत हुई।

वित्त मंत्री ने श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव किया कि 31 मार्च, 2020 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–07 वित्त, कर, नियोजन, सचिवालय तथा अन्य सेवाओं के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए **रूपये 94711108 हजार (रूपये नौ हजार चार सौ ईकहत्तर करोड़ ग्यारह लाख आठ हजार मात्र)** से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

श्री अध्यक्ष द्वारा अनुदान संख्या–07 पर कटौती का प्रस्ताव प्रस्तुत करने हेतु आमंत्रित किया गया। किन्तु किसी भी मा0 सदस्य द्वारा कटौती का प्रस्ताव नहीं रखा गया।

अनुदान संख्या–07 के अधीन मांग की धनराशि स्वीकृत हुई।

आबकारी मंत्री ने श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव किया कि 31 मार्च, 2020 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–08 आबकारी के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए **रूपये 296339 हजार (रूपये उन्तीस करोड़ तिरसठ लाख उन्तालीस हजार मात्र)** से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

मा0 सदस्य श्री मनोज रावत ने प्रस्ताव किया कि अनुदान संख्या–08 के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रूपया कर दी जाय। श्री मनोज रावत तथा श्री राजकुमार ने अपने विचार व्यक्त किये।

आबकारी मंत्री के उत्तर भाषण के उपरान्त श्री मनोज रावत द्वारा प्रस्तुत कटौती का प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ तथा अनुदान संख्या–08 के अधीन मांगी गई धनराशि पूर्ण रूप से स्वीकृत हुई।

संसदीय कार्य मंत्री ने श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव किया कि 31 मार्च, 2020 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–18 सहकारिता के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए **रूपये 1828571 हजार (रूपये एक सौ बयासी करोड़ पचासी लाख ईकहत्तर हजार मात्र)** से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

मा0 सदस्य श्री करन माहरा ने प्रस्ताव किया कि अनुदान संख्या–18 के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रूपया कर दी जाय। श्री करन माहरा ने विचार व्यक्त किये।

संसदीय कार्य मंत्री के उत्तर भाषण के मध्य 04 बजकर 07 मिनट पर मा0 उपाध्यक्ष पीठासीन हुए।

संसदीय कार्य मंत्री के उत्तर भाषण के उपरान्त श्री करन माहरा द्वारा प्रस्तुत कटौती का प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ तथा अनुदान संख्या–18 के अधीन मांगी गई धनराशि पूर्ण रूप से स्वीकृत हुई।

सिंचाई मंत्री ने श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव किया कि 31 मार्च, 2020 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–20 सिंचाई एवं बाढ़ के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए **रूपये 9978462 हजार (रूपये नौ सौ सत्तानवे करोड़ चौरासी लाख बासठ हजार मात्र)** से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

मा0 सदस्य श्री मनोज रावत ने प्रस्ताव किया कि अनुदान संख्या–20 के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रूपया कर दी जाय। श्री मनोज रावत, काजी मो0 निजामुद्दीन तथा श्री राजकुमार ने विचार व्यक्त किये।

04 बजकर 30 मिनट पर श्री अध्यक्ष पीठासीन हुए।

सिंचाई मंत्री के उत्तर भाषण के उपरान्त श्री मनोज द्वारा प्रस्तुत कटौती का प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ तथा अनुदान संख्या–20 के अधीन मांगी गई धनराशि पूर्ण रूप से स्वीकृत हुई।

पर्यटन मंत्री ने श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव किया कि 31 मार्च, 2020 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–26 पर्यटन के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए **रूपये 2007523 हजार (रूपये दो सौ करोड़ पचहत्तर लाख तेईस हजार मात्र)** से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

मा0 सदस्य श्री मनोज रावत ने प्रस्ताव किया कि अनुदान संख्या–26 के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रूपया कर दी जाय। श्री मनोज रावत तथा श्री राजकुमार ने विचार व्यक्त किये।

पर्यटन मंत्री के उत्तर भाषण के उपरान्त श्री मनोज रावत द्वारा प्रस्तुत कटौती का प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ तथा अनुदान संख्या–26 के अधीन मांगी गई धनराशि पूर्ण रूप से स्वीकृत हुई।

05 बजकर 35 मिनट पर मा0 उपाध्यक्ष पीठासीन हुए।

पेयजल मंत्री ने श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव किया कि 31 मार्च, 2020 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–13 जलापूर्ति, आवास एवं नगर विकास के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए **रूपये 17407796 हजार (रूपये एक हजार सात सौ चालीस करोड़ सत्तहत्तर लाख छियानवे हजार मात्र)** से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

मा0 सदस्य श्री गोविन्द सिंह कुन्जवाल ने प्रस्ताव किया कि अनुदान संख्या–13 के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रूपया कर दी जाय। श्री गोविन्द सिंह कुन्जवाल, श्री प्रीतम सिंह, श्रीमती ममता राकेश तथा श्री हरबंस कपूर ने विचार व्यक्त किये।

पेयजल मंत्री के उत्तर भाषण के उपरान्त श्री गोविन्द सिंह कुन्जवाल द्वारा प्रस्तुत कटौती का प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ तथा अनुदान संख्या–13 के अधीन मांगी गई धनराशि पूर्ण रूप से स्वीकृत हुई।

कृषि मंत्री ने श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव किया कि 31 मार्च, 2020 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–17 कृषि कर्म एवं अनुसंधान के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए **रूपये 11654060 हजार (रूपये एक हजार एक सौ पैंसठ करोड़ चालीस लाख साठ हजार मात्र)** से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

कृषि मंत्री के भाषण के मध्य मा0 सदस्य काजी मौ0 निजामुद्दीन तथा मा0 सदस्य श्री प्रीतम सिंह ने कृषि विभाग का बजट साहित्य उपलब्ध न होने पर व्यवस्था का प्रश्न उठाया।

श्री उपाध्यक्ष ने विनिश्चय दिया कि बजट साहित्य समय पर उपलब्ध करा दिया जाय।

मा0 सदस्य श्री आदेश सिंह ने प्रस्ताव किया कि अनुदान संख्या–17 के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रूपया कर दी जाय। श्री आदेश सिंह चौहान तथा काजी मौ0 निजामुद्दीन ने विचार व्यक्त किये।

कृषि मंत्री के उत्तर भाषण के उपरान्त श्री आदेश सिंह चौहान द्वारा प्रस्तुत कटौती का प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ तथा अनुदान संख्या–17 के अधीन मांगी गई धनराशि पूर्ण रूप से स्वीकृत हुई।

परिवहन मंत्री ने श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव किया कि 31 मार्च, 2020 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–24 परिवहन के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए **रूपये 2582111 हजार (रूपये दो सौ अठ्ठावन करोड़ इक्कीस लाख ग्यारह हजार मात्र)** से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

मा0 सदस्य श्री मनोज रावत ने प्रस्ताव किया कि अनुदान संख्या–24 के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रूपया कर दी जाय। श्री मनोज रावत, श्री प्रीतम सिंह तथा श्री राजकुमार ने विचार व्यक्त किये।

परिवहन मंत्री के उत्तर भाषण के उपरान्त श्री मनोज रावत द्वारा प्रस्तुत कटौती का प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ तथा अनुदान संख्या–17 के अधीन मांगी गई धनराशि पूर्ण रूप से स्वीकृत हुई।

समाज कल्याण ने मंत्री श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव किया कि 31 मार्च, 2020 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–30 अनुसूचित जातियों का कल्याण के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए **रूपये 14059740 हजार (रूपये एक हजार चार सौ पांच करोड़ सत्तानबे लाख चालीस हजार मात्र)** से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

समाज कल्याण मंत्री ने श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव किया कि 31 मार्च, 2020 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–31 अनुसूचित जनजातियों का कल्याण के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए **रूपये 4699309 हजार (रूपये चार सौ उनहत्तर करोड़ तिरानबे लाख नौ हजार मात्र)** से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

मा0 सदस्य श्रीमती ममता राकेश ने प्रस्ताव किया कि अनुदान संख्या–30 एवं अनुदान संख्या–31 के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रूपया कर दी जाय। श्रीमती ममता राकेश तथा श्री राजकुमार ने विचार व्यक्त किये।

समाज कल्याण मंत्री के उत्तर भाषण के उपरान्त श्री ममता राकेश द्वारा प्रस्तुत कटौती का प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ तथा अनुदान संख्या–30 एवं अनुदान संख्या–31 के अधीन मांगी गई धनराशि पूर्ण रूप से स्वीकृत हुई।

पशुपालन मंत्री ने श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव किया कि 31 मार्च, 2020 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–28 पशुपालन सम्बन्धी कार्य के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए **रूपये 3508307 हजार (रूपये तीन सौ पचास करोड़ तिरासी लाख सात हजार मात्र)** से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

मा0 सदस्य श्री आदेश सिंह चौहान ने प्रस्ताव किया कि अनुदान संख्या–28 के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रूपया कर दी जाय। श्री आदेश सिंह चौहान तथा श्री मनोज रावत ने विचार व्यक्त किये।

पशुपालन मंत्री के उत्तर भाषण के उपरान्त श्री आदेश सिंह चौहान द्वारा प्रस्तुत कटौती का प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ तथा अनुदान संख्या–28 के अधीन मांगी गई धनराशि पूर्ण रूप से स्वीकृत हुई।

श्रम एवं रोजगार मंत्री ने श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव किया कि 31 मार्च, 2020 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–16 श्रम एवं रोजगार के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए **रूपये 4020294 हजार (रूपये चार सौ दो करोड़ दो लाख चौरानवे हजार मात्र)** से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

नेता प्रतिपक्ष डा0 इन्दिरा हृदयेश ने प्रस्ताव किया कि अनुदान संख्या–16 के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रूपया कर दी जाय। नेता प्रतिपक्ष डा0 इन्दिरा हृदयेश ने विचार व्यक्त किये।

श्रम एवं रोजगार मंत्री के उत्तर भाषण के उपरान्त नेता प्रतिपक्ष डा0 इन्दिरा हृदयेश द्वारा प्रस्तुत कटौती का प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ तथा अनुदान संख्या–16 के अधीन मांगी गई धनराशि पूर्ण रूप से स्वीकृत हुई।

श्री उपाध्यक्ष ने सूचित किया कि कार्य–मंत्रणा समिति ने अपनी दिनांक 21 फरवरी, 2019 की बैठक में दिनांक 22 फरवरी, 2019 के उपवेशन का कार्यक्रम निम्नलिखित रूप में रखे जाने की सिफारिश की हैः–

22 फरवरी, 2019

विधायी कार्य–

1. उत्तराखण्ड लोक सेवा (आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए आरक्षण) विधेयक, 2019 का विचार एवं पारण **(15 मिनट)**

2. उत्तराखण्ड (संयुक्त प्रांत आबकारी अधिनियम, 1910) (संशोधन) विधेयक, 2019 का विचार एवं पारण **(15 मिनट)**

(शेष कार्यक्रम यथावत रहेगा।)

श्री उपाध्यक्ष ने सूचित किया कि आज नियम–53 के अन्तर्गत कुल 15 सूचनाएं प्राप्त हुई हैं। इनमें से :–

मा0 सदस्य श्री दीवान सिंह बिष्ट की सूचना जो विधान सभा क्षेत्र रामनगर में राजकीय प्राथमिक विद्यालय व जूनियर हाई स्कूल के क्षतिग्रस्त भवन के सम्बन्ध में है, को नियम– 53 के अंतर्गत वक्तव्य के लिए तथा

मा0 सदस्य श्री आदेश चौहान की सूचना जो विधान सभा क्षेत्र बी0एच0ई0एल0 रानीपुर के अन्तर्गत नगर पालिका शिवालिक नगर व ग्राम सभा रावली महदूद की सीमा पर स्थित नाले से अतिक्रमण हटाने व सफाई कराये जाने के सम्बन्ध में है, को नियम– 53 के अन्तर्गत केवल वक्तव्य के लिए स्वीकार किया गया। शेष सूचनाएं अस्वीकार हुई।

जनपद चमोली के विधान सभा क्षेत्र थराली के अन्तर्गत माह जून के वर्ष 2018 में आयी भीषण दैवीय आपदा से क्षतिग्रस्त पैदल पुलों, सम्पर्क मार्गों के पुनर्निर्माण न होने व आवासीय मकानों, दुकानों एवं बहे हुए वाहनों का मुआवजा न मिलने से क्षेत्रीय जनता में व्याप्त आक्रोश के सम्बन्ध में, श्रीमती मुन्नी देवी शाह, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 20 फरवरी, 2019 को दी गयी सूचना पर संसदीय कार्य मंत्री ने केवल वक्तव्य दिया, जो पढ़ा हुआ माना गया।

जनपद देहरादून के विधान सभा क्षेत्र रायपुर के अन्तर्गत पेयजल सम्बन्धी ज्वलन्त समस्या के निवारण हेतु माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा की गई घोषणाओं के अन्तर्गत स्वीकृत कार्यों को किये जाने हेतु अवशेष धनराशि शीघ्र अवमुक्त किये जाने के सम्बन्ध में, श्री उमेश शर्मा 'काऊ', सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 20 फरवरी, 2019 को दी गयी सूचना पर संसदीय कार्य मंत्री ने वक्तव्य दिया, जो पढ़ा हुआ माना गया।

सदन की कार्यवाही 09 बजकर 15 मिनट पर अगले दिन पूर्वाह्न 11:00 बजे तक के लिये स्थगित हुई।

जगदीश चन्द्र
सचिव,
विधान सभा।

स्वीकृत,
प्रेमचन्द अग्रवाल
अध्यक्ष,
विधान सभा।